न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –15/2025 दायर दिनांक 16.04.2025

सरकार जरिये प्रर्वतन निरीक्षक, सूरतगढ़

—प्रार्थी

वनाम

गोहनलाल पुत्र श्यामलाल उम्र 35 वर्ष जाति लुहार निवासी 3/231 रा.आ.म.कॉलोनी सूरतगढ़

—अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6(ए)

:: निर्णय :: दिनांकः– 10.04.2026

1. यह परिवाद प्रर्वतन निरीक्षक सूरतगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक सूरतगढ़ अप्रार्थी गोहनलाल पुत्र श्यामलाल उम्र 35 वर्ष जाति लुहार निवासी 3/231 रा.आ.म. कॉलोनी सूरतगढ़ की दुकान ववलू गैस सर्विस सूरतगढ़ पर पहुंचे जहां अप्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना वताया। मौके पर दुकान की जांच में पाया कि दुकान में 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 83.9 किलोग्राम एलपीजी गैस, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर एवं 1 गैस पाईप पाये गये। दौराने पूछताछ गोहनलाल ने वताया कि मोटर से वाहनों तथा छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने में प्रयुक्त होती है। मौके पर उक्त सिलेण्डरों के साथ–साथ रिफलिंग मोटर भी पाई गई, जो छोटे सिलेण्डरों को रिफलिंग करने एवं वाहनों में गैस भरने में काम आना वताया। मौके पर गोहनलाल से गैस रिफलिंग संबंधी अनुमति/ प्राधिकार पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उसने वताया कि इस कार्य हेतु उसके पास कोई अनुमति/प्राधिकार पत्र नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा अवैद्य रूप से रिफलिंग की जा रही थी एवं घरेलू सिलेण्डर इस कार्य में प्रयोग लेने हेतु रखे गये थे। उक्त अवैद्य कार्य करते हुए पाये जाने पर एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई) आदेश 2000 के खण्ड़ 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 83.9 किलोग्राम एलपीजी गैस, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर एवं 1 गैस पाईप जरिये फर्द जब्ती जब्त की। जब्तशुदा उक्त समस्त सामग्री मय घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर ही नरेन्द्र पुत्र तोलाराम उम्र 20 वर्ष जाति मेघवाल निवासी सोनी मार्केट, सूरतगढ़ कार्यकर्ता सूरतगढ़ गैस सर्विसेज, सूरतगढ़ को सुपुर्द की। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मोहनलाल पुत्र श्यामलाल जाति लुहार निवासी 3/231, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, सूरतगढ़ का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई) आदेश 2000 के खण्ड़ 3 (1) (ए) (बी) (सी), 4 (1) (ए) , 6 व 7 (1) सी) का स्पष्ठ उल्लंघन है। अतः मौके पर जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 83.9 किलोग्राम एलपीजी गैस, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर एवं 1 गैस पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावे।
2. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी को भेजा गया नोटिस वाद विधिवत तामील प्राप्त हुआ। अप्रार्थी बावजूद पर्याप्त सूचना आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये है। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 23.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है।
3. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.04.2025 को तैयार किये गये फर्द मौका जब्ती मय सुपुर्दगीनामा (अवैद्य गैस रिफलिंग) पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग गैस रिफलिंग में किया जाता है। अतः यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग अवैद्य तरीके से गैस रिफलिंग के व्यवसायिक कृत्य में कर एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3(1) (ए) (बी) (सी), 4(1) (ए), 6 व 7 (1) (सी) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः मौके से जब्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 83.9 किलोग्राम एलपीजी गैस, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफलिंग मोटर एवं 1 गैस पाईप को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को [illegible] आवश्यक [illegible] की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

975

Scanned with OKEN Scanner